उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-55/2018/820/92-2-18-121जांच/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 17 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद चित्रकूट में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के निर्माण कार्यो के सम्पन्न कराने में उदासीनता/लापरवाही बरतने, "क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल" योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में अनुरक्षण आदि कार्य न किये जाने तथा शासकीय कार्यो में रूचि न लेने के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-74/2016/1812/92-2-16-121जांच/2016, दिनांक 24-11-2016 द्वारा श्री मनोज कुमार गर्ग, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा जिनके पास अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जनपद-चित्रकूट का भी अतिरिक्त कार्यभार था, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परिमण्डल-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। निलम्बन अवधि में श्री मनोज कुमार गर्ग को कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर से सम्बद्ध किया गया।

2- उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल- 05 आरोपों में से कोई भी आरोप जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित नही पाया गया, परन्तु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के निर्माण कार्यो को सम्पन्न कराने में उदासीनता/लापरवाही बरतने, "क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना" के अंतर्गत चयनित विद्यालयो में अनुरक्षण आदि कार्य न किये जाने तथा शासकीय कार्य में रूचि न लेने के लिए दोषी पाया गया, जिसके लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-80/2017/350/92-2-17-121जांच/2016, दिनांक 25.05.2017 द्वारा श्री मनोज कुमार गर्ग, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा जिनके पास अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जनपद-चित्रकूट का अतिरिक्त कार्यभार था को वर्ष 2016-17 के लिए "परिनिन्दित" करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-74/2016/1812/92-2-16-121जांच/2016, दिनांक 24-11-2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें सेवा में बहाल करते हुए समाप्त कर दी गयी।

3- शासन द्वारा पारित उक्त परिनिन्दा दण्ड के विरूद्ध श्री मनोज कुमार गर्ग द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 22.06.2017 पर सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि पारित उक्त निर्णय में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9 के उप नियम (2) एवं (4) तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 22.04.2015 के प्रस्तर-10 में अन्तर्निहित प्रावधानों एवं नियमों को त्रुटिवश संज्ञान नहीं लिया गया। अत: उक्त त्रुटि को परिमार्जित कर विधिक/नियमित करने हेतु श्री मनोज कुमार गर्ग के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 25.05.2017 को प्रास्थगित रखते हुए उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-1326/92-2-2017-121जांच/ 2016, दिनांक 08.09.2017 द्वारा श्री गर्ग को अभ्यावेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जो उनके पत्र दिनांक 16.11.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत

अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा अपने प्रत्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा अपने बचाव उत्तर में जांच अधिकारी को उपलब्ध कराया गया था। चूंकि श्री गर्ग के प्रत्यावेदन में कोई अतिरिक्त तथ्य उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अत: श्री मनोज कुमार गर्ग को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-80/2017/350/92-2-17-121जांच/2016, दिनांक 25.05.2017 द्वारा दिये गये "परिनिन्दा" के दण्ड को समाप्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

4- प्रश्नगत प्रकरण में श्री गर्ग के निलम्बन अविध के अवशेष वेतन के संबंध मे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2(4) के अंतर्गत प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 19.08.2017 पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा उनके निलम्बन अवधि दिनांक 24.11.2016 से 25.05.2017 तक के अवशेष वेतन/भत्तों का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव श्री मनोज कुमार गर्ग के उक्त निलम्बन अवधि को उनकी कर्तव्यार्थ सेवा में व्यतीत की गयी अवधि मानी जायेगी।

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

वी0 के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-55/2018/820(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

2- श्री मनोज कुमार गर्ग, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बॉदा सम्प्रति प्रखण्ड-रामपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।